न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– गिरधर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 29/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर यश मुखीजा पुत्र श्री राजीव मुखीजा उम्र वयस्क निवासी महावीर कॉलोनी भीलवाड़ा। – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 07.02.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम रायसिंहपुरा पटवार क्षैत्र बरण भू–अभिलेख बनेड़ा तहसील बनेड़ा के आराजी नं. 1576 रकबा 0.3326 है0 किस्म बारानी प्रथम, आराजी नं. 1577 रकबा 0.2523 है0 किस्म बारानी प्रथम, आराजी सं. 1578 रकबा 0. 3035 है0 कुल किता 03 रकबा 0.8884 है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उक्त आराजी नम्बर 1576, 1577, 1578 कुल किता 03 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा आराजी को ना.सं. 453 से बिलानाम होकर जरिये संपरिवर्तन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/एफ!12–3(स)(31) आरए 91 दिनांक 25.11.1991 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया था जिसकी पालना में ना.सं. 460 दिनांक 21.01.1992 को खोला गया। लेकिन नामान्तरण के बाद की जमाबन्दी में किस्म गे.मु. औद्योगिक के बजाय बारानी प्रथम व नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज आ रही है, जो गलत है। उक्त आराजियात की किस्म बारानी प्रथम के बजाय गे.मु. औद्योगिक एवं नवरंग रिफ्क्ट्रीज के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी तहसीलदार बनेड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। कार्यालय तहसीलदार बनेड़ा से पैरोकार सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2023 से जवाब प्रस्तुत पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रायसिंहपुरा के आराजी नं. 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 किस्म बारानी प्रथम खातेदार नवरंग रिफ्क्ट्रीज के नाम पर वर्तमान में दर्ज रेकार्ड है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक/एफ!12–3(स)(31) आरए दिनांक 25.11.1991 से उक्त आराजी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन हुआ था। जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा में नामा. सं. 453 दिनांक 13.11.1991 से उक्त आराजियात को बिलनाम दर्ज कर पुनः नामान्तरण सं. 460 दिनांक 29.02.1992 से किता 03, रकबा 4–09 बीघा (1.1255 है0) नवरंग रिफ्क्ट्रीज के नाम पर खोला गया। परन्तु तत्कालीन पटवारी ने सहवन से नामान्तरण सं. 460 ग्राम रायसिंहपुरा में नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज एवं किस्म के कॉलम सं. 13 को खाली छोड़ दिया। इसके बाद ना.सं. 1003 दिनांक 07.06.

2003 से आ.न. 1576 में से 0.05 बिस्वा आ.न. 1577 में से 0.06 बिस्वा कुल 0.11 बिस्वा (0.1391 है0) भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज हुई खाते में शेष रकबा 3.18 बीघा (9864 है0) रहीं। इसके बाद ना.सं. 1467 दिनांक 28.09.2016 से आ.नं. 1576 से 0–3–14 बीघा एवं आ.नं. 1577 से 0–04–01 बीघा कुल 0–07–15 बीघा (0.0980 है0) भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम पर दर्ज हुई। इसके उपरान्त वर्तमान में खाते में किता 3 रकबा 3–10–05 बीघा (0.8884 है0) खातेदार नवरंग रिफ्क्ट्रीज किस्म बारानी प्रथम अनुसार दर्ज हुआ। अतः दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त ग्राम रायसिंहपुरा आराजी नं. 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 नवरंग रिफ्क्ट्रीज के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा. लि. एवं किस्म गे.मु. औद्योगिक दर्ज किया जाना उचित है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण में तहसीलदार बनेडा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नवरंग रिफक्ट्रीज प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर यश मुखीजा पुत्र श्री राजीव मुखीजा स्वंय उपस्थित हो निवेदन किया की दौराने नामान्तरण उक्त आराजियात की किस्म गे.मु. औद्योगिक के बजाय बारानी प्रथम एवं नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश गलत हो गई। अतः इसे सही किया जावें। प्रार्थी की बहस सुनी गई व पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि तहसीलदार बनेड़ा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम रायसिंहपुरा के आराजी नं. 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 किस्म बारानी प्रथम खातेदार नवरंग रिफ्क्ट्रीज के नाम पर वर्तमान में दर्ज है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक/एफ!12–3(स)(31) आरए दिनांक 25.11.1991 से उक्त आराजी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन हुआ था। जिसकी पालना में तत्कालीन पटवारी द्वारा ग्राम रायसिंहपुरा में नामा. सं. 453 दिनांक 13.11.1991 से उक्त आराजियात को बिलनाम दर्ज कर पुनः नामान्तरण सं. 460 दिनांक 29.02.1992 से किता 03, रकबा 4–09 बीघा (1.1255 है0) नवरंग रिफ्क्ट्रीज के नाम पर खोला गया। परन्तु तत्कालीन पटवारी ने सहवन से नामान्तरण सं. 460 ग्राम रायसिंहपुरा में नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज एवं किस्म के कॉलम सं. 13 को खाली छोड़ दिया। इसके बाद ना.सं. 1003 दिनांक 07.06.2003 से आ.न. 1576 में से 0.05 बिस्वा आ.न. 1577 में से 0.06 बिस्वा कुल 0.11 बिस्वा (0.1391 है0) भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज हुई खाते में शेष रकबा 3.18 बीघा (9864 है0) रहीं। इसके बाद ना.सं. 1467 दिनांक 28.09.2016 से आ.नं. 1576 से 0–3–14 बीघा एवं आ.नं. 1577 से 0–04–01 बीघा कुल 0–07–15 बीघा (0.0980 है0) भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम पर दर्ज हुई। इसके उपरान्त खाते में किता 3 रकबा 3–10–05 बीघा (0.8884 है0) खातेदार नवरंग रिफ्क्ट्रीज किस्म बारानी प्रथम अनुसार दर्ज हुआ। अतः दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त ग्राम रायसिंहपुरा आराजी नं. 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 नवरंग रिफ्क्ट्रीज के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा. लि. एवं किस्म गे.मु. औद्योगिक दर्ज किया जाना उचित है।

उपरोक्त के अवलोकन व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ग्राम रायसिंहपुरा के आराजी नं. 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 भूमि की जमाबन्दी व मौके में भिन्नता पायी गयी। अतः यह उचित है कि जमाबन्दी में उपरोक्त आराजी 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 भूमि किस्म बारानी प्रथम खातेदार नवरंग रिफ्क्ट्रीज के बजाय उपरोक्त भूमि की किस्म गे.मु. औद्योगिक एवं खातेदार का नाम नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। ग्राम रायसिंहपुरा पटवार क्षेत्र बरण भू–अभिलेख बनेड़ा तहसील बनेड़ा के आराजी नं. 1576 रकबा 0.3326 है0 किस्म बारानी प्रथम, आराजी नं. 1577 रकबा 0.2523 है0 किस्म बारानी प्रथम, आराजी सं. 1578 रकबा 0.3035 है0 भूमि की जमाबन्दी में भिन्नता पायी गयी। अतः यह आदेशित किया जाता है कि ग्राम रायसिंहपुरा के आराजी नं. 1576, 1577, 1578 किता 03 रकबा 0.8884 है0 भूमि किस्म बारानी प्रथम के बजाय गे.मु. औद्योगिक एव खातेदार का नाम नवरंग रिफ्क्ट्रीज के बजाय नवरंग रिफ्क्ट्रीज प्रा.लि. किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा उक्तानुसार जमाबन्दी में शुद्धि करें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गिरधर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)